समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला माल एवं सेस शाखा, मुंगेर।)

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित श्रावणी मेला की वर्ष 2012–13 हेतु खुली डाक के माध्यम से बन्दोबस्ती हेतु निम्न प्रकार तिथि निर्धारित की जाती है। प्रथम निर्धारित तिथि को डाक नहीं होने पर डाक अनुवर्त्ती तिथि को की जाएगी।

क्र0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय	स्थान
1	2	3	4	5	6
1	[illegible] श्रावणी मेला सैरात, संग्रामपुर अंचल	24551.00	2450.00	1. 28.06.2012 11.00 बजे 2. 29.06.2012 11.00 बजे 3. 30.06.2012 11.00 बजे	अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के कार्यालय प्रकोष्ठ।

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा। डाक में वैसे व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो पूर्व के बकायेदार नहीं हो। डाक के समय संबंधित अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त बकाया रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही डाक में भाग लेने हेतु सक्षम हो सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता को छोड़कर अन्य डाकवक्ता को डाक की जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी। सर्वोच्च डाकवक्ता की जमानत की राशि का समायोजन डाक की राशि में किया जायेगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को आवासीय प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत समर्पित करना होगा।
3. डाक की समाप्ति पर उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जिला नजारत में जमा करना होगा। यदि ऐसे डाकवक्ता बन्दोबस्ती लेने से इनकार करेंगे तो उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि को जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय डाकवक्ता के बोली की राशि को संतोषजनक पाये जाने पर उनके साथ उपरोक्त शर्तो के अधीन बन्दोबस्ती पर विचार किया जायेगा।
4. बिना कारण बताये डाक को स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. सर्वोच्च डाक की राशि डाक सम्पन्न होने के साथ डाकवक्ता को नियमानुसार निबंधन शुल्क/स्टाम्प शुल्क एवं पेजिंग शुल्क डाक के राशि के अतिरिक्त जमा करना होगा एवं एकरारनामा कराना होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्राथमिकता पर ग्राम पंचायत अथवा बहुधंधी सहयोग समिति के साथ सुरक्षित जमा राशि पर बन्दोबस्ती कर सकेंगे।

7. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा सुरक्षित जमा राशि में वृद्धि करने पर बढ़ी हुई राशि की वसूली की जायेगी।

8. विशेष जानकारी के लिए जिला माल सेस शाखा, मुंगेर से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

ह० —
अपर समाहर्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 53 / म० से० दि० 26.6.13

प्रतिलिपि :— उपविकास आयुक्त —सह — मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, मुंगेर/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम, मुंगेर/नगरपालिका जमालपुर/अधिसूचित क्षेत्र ह0 खड़गपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/खड़गपुर एवं तारापुर/सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला/जिला नजारत पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आइ0 सी0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आम सूचना का व्यापक प्रचार—प्रसार करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सैरात की डाक की सूचना पंचायत/पंचायत समिति की बैठक में देना सुनिश्चित करेंगे ताकि आमलोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यह भी निदेश दिया जाता है कि सैरातों के डाक हेतु निर्गत आम सूचना की प्रति पर प्रखंड प्रमुख तथा कम—से —कम 50 प्रतिशत मुखिया का हस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे ताकि उनलोगों के माध्यम से भी समुचित प्रचार प्रसार हो सकें।

26/6
अपर समाहर्ता,
मुंगेर।